न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रमेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 44/2025
निर्णय दिनांक 18/07/2025

रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी लुड़निया बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा लुड़निया बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 68 के खसरा सं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. के सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में रोही लुड़निया बड़ा तहसील तारानगर में वादी का नाम इंतकाल के समय दस्तावेजी एवं विभागीय भूलवश गलती से वर्तमान जमाबंदी में वादी रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम का नाम राजेश पुत्र डूंगरराम दर्ज हो गया, जो गलत है जिसका पता वादी को राजस्व रिकार्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुई। जबकि वादी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता होने के कारण वादी राज्य व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे वादी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए वादी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी का सभी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड,, राशन कार्ड में सही नाम रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा लुड़निया बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 68 के खसरा सं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार वादी का नाम रमेश कुमाव पुत्र डूंगरराम व राजेश पुत्र डूंगरराम दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वादी और सहखातेदार सादुराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी लुड़निया बड़ा तहसील तारानगर ने शपथ पत्र और दस्तावेज दिनांक 18.07.2025 को प्रस्तुत किये गये। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। लेखबद्ध बयानों के अुनसार वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया व लेखबद्ध बयानों तथा संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड,, राशन कार्ड में वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम पाया जाता है। मौखिक साक्ष्य वादी बयान ए.डब्लू. 01 तथा बयान ए.डब्लू. 02 जो विवादित भूमि के सह खातेदार है से भी वाद पत्र की पुष्टि होती है।

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा लुड़निया बड़ा पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 68 के खसरा सं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट., ख.नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **राजेश पुत्र डूंगरराम Delete** कर इसके स्थान पर **रमेश कुमार पुत्र डूंगरराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)